न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 18/2018

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00099

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
हरीराम पुत्र श्री बंशीलाल, जाति मेघवाल, निवासी 87, मेघवालों का बास, मण्डली, तहसील पाली जिला पाली (राज.)		1. स्व. लालचन्द पुत्र मांगीलाल के कायम मुकाम :– 1.1 प्रहलादराज पुत्र स्व. श्री लालचन्द 1.1.1 शान्तिदेवी पत्नी स्व. श्री प्रहलादराज 1.1.2 रवीन्द्र पुत्र स्व. श्री प्रहलादराज 1.2 जुगलकिशोर पुत्र स्व. श्री लालचन्द 1.2.1 निर्मला पत्नी स्व. श्री जुगलकिशोर 1.2.2 मनमोहन पुत्र स्व श्री जुगलकिशोर 1.3 रामगोपाल पुत्र स्व. श्री लालचन्द 1.4 सोमचन्द पुत्र स्व. श्री लालचन्द 1.5 मोहिनीदेवी पुत्री स्व. श्री लालचन्द तमाम जाति अग्रवाल, निवासीगण 38 फतेहपुरिया की पोल पाली तहसील पाली जिला पाली 2. अशोक पुत्र राजाराम, 3. भंवरीदेवी पत्नी राजाराम, 4. चुनीयां पुत्र नारायण, 5. चेनी पत्नी बंशीलाल, 6. उमा पुत्री बंशीलाल, 7. कुसुम पुत्री बंशीलाल (रेस्पो. संख्या 06 व 07 नाबालिग जरिये कुदरती वलियां माता चेनी देवी पत्नी बंशीलाल) तमाम रेस्पो. संख्या 02 से 07 जातिगण मेघवाल (भांबी), निवासीगण मण्डली खुर्द, तहसील पाली जिला पाली (राज.) 8. तहसीलदार, भूमिधारी पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–19.03.2024

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम मण्डली खुर्द के नामान्तरकरण संख्या 1321 दिनांक 13.07.2009 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील–मीमो व वक्त बहस कथन किया कि मौजा मण्डली खुर्द, पटवार हल्का मण्डली खुर्द में अपीलाण्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 395 रकबा 20.17 बीघा, किस्म नहरी दोयम स्थित है जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। यह कृषि भूमि अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 06, 07 के पिता व रेस्पो. संख्या 05 के पति स्व. बंशीया पुत्र नारायण जी की संयुक्त खातेदारी की थी तथा पुस्तैनी के रूप में चली आ रही है। अपीलाण्ट के पिताजी स्व. बंशीलाल जी का दिनांक 30.11.2007 को देहान्त हो गया। जब अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु हुई तब अपीलाण्ट नाबालिग था। अपीलाण्ट के पिताजी बंशीया (बंशीलाल) के देहान्त के पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1321 दिनांक 13.07.2009 भरा गया जिसमें अपीलाण्ट हरीराम का नाम हरीराम की जगह हरीश दर्ज कर दिया गया है। जो विधि विरूद्ध व त्रुटियुक्त होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस पर मनन किया। प्रकरण में हम अपीलाण्ट द्वारा किये गये लिखित अभिकथनों, बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों के अध्ययन से प्रथम–दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का नाम विरासत से नामान्तरकरण के दौरान हरीराम के स्थान पर हरीश दर्ज कर दिया गया है तथा इस हेतु पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय अन्तर्गत प्रकरण संख्या 17 / 2018 निर्णय दिनांक 11.02.2020 तथा प्रकरण संख्या 16 / 2018 निर्णय दिनांक 16 / 2018 निर्णय दिनांक 11.02.2020 में इन्ही आधारों पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण इस आशय से प्रति प्रेषित किया था कि स्व. बंशीलाल के सभी विधिक वारिशानों को नोटिस दिया जाकर बाद जाँच एवं सुनवाई कर उनके सही नाम का राजस्व रेकर्ड में अंकन करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाये। यह प्रकरण भी इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों से squarely covered है। अतएव अपील–अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 1321 दिनांक 13.07.2009 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुए निर्देश देते है कि स्व. बंशीलाल के समस्त वारिशानों एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलाण्ट एवं अन्य वारिशानों के सही नाम बाद विधिक जाँच नामान्तरकरण दर्ज कर नियमानुसार स्वीकृत किया जावे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)